प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 है0 सिविल वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

राज्य योजना के अन्तर्गत मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में ग्वाड–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 2724/111(2)/15–05 (मा0मु0घो0)/2015 दिनांक 24.4.2015 के द्वारा 7.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 103.62 लाख की प्राप्त हुई हैं। मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 7.00 कि0मी0 आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग जी0आई0सी0 कनखुल इण्टर कॉलेज के कि0मी0 2 से प्रारम्भ होकर कर ग्राम किमोली तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम **ग्वाड, कनखुल तल्ला, रिठोली एवं किमोली मल्ली** प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदीं फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1 सिविल वन भूमि 3.00 कि0मी0 x 7 मी0	=	2.100 हे0
2–नाप भूमि 4.00 कि0मी0 x 7मी0	=	2.800 हे0
3–मक डिस्पोजल हेतु	=	0.100 हे0
कुल योग	=	5.000 हे0 ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 2.100 हे0 सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 हे0 कुल 2.200 सिविल वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर